

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1969/पौष 10, 1891

No. 189] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1969/PAUSA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 31st December 1969

G.S.R. 2807.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 136/66-Central Excises, dated the 23rd August, 1966, namely:—

In the said notification—

- (i) In the first paragraph, for the letters and figures "Rs. 37.10", the letters and figures "Rs. 70" shall be substituted; and
- (ii) in paragraph 2, for the expression "31st December, 1969", the expression "31st March, 1970" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st January, 1970.

[No. 236/69-CE-F. No. 8/29/69-CX.3.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1966

सा० का० नि० 2807 :-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, केन्द्रीय सम्कार, भारत सरकार क वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को अधिसूचना सं० 134/66 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 अगस्त, 1966 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित सशोधन करती है, प्रार्थना—

उक्त अधिसूचना में—

- (i) प्रथम पैरा म “ह० 37-10’ अक्षर और अंकों के स्थान पर “ह० 70’ अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
 - (ii) पैरा 2 में “31 दिसम्बर, 1969” पद के स्थान पर “31 मार्च, 1970” पद प्रतिस्थापित किया जायगा ।
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1970 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 236/69—क उ० शु०—फा० सं० 8/29/69—सी० एक्स 3]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव ।